

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के ज्ञापक (कॉलम 4 में वर्णित) से 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 60,000/- (साठ हजार रुपए) तथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/दावेदार/आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० विपत पासवान, 52, विश्वनाथ पासवान, अनुसूचित जाति	पुनिता देवी, (पत्नी)	460, 17.04. 2026	ग्रा०-ईस्लामपुर, पो०-भगवानपुर, प्रखण्ड-रीगा, जिला-सीतामढ़ी 9341451180	4430182 1000280 4	BOI, BKID00 04430	30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
02	स्व० दशरथ मांझी, 55, मेघु मांझी, अनुसूचित जाति	बाहरनिया देवी, (पत्नी)	477, 17.04. 2026	ग्रा०+पो०-चैनपुरा, थाना+प्रखण्ड-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी 7061057651	8902001 7000719 51	PNB, PUNBO 890200	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
03	स्व० अकलबीर राम, 39, उपेन्द्र राम, अनुसूचित जाति	भारती देवी, (पत्नी)	483, 17.04. 2026	ग्रा०-रामपुर हरि, पो०-जोगियारा, थाना+प्रखण्ड-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी 7970431631	8902000 1001196 78	PNB, PUNBO 890200	30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
04	स्व० दरेश दास, 52, स्व० जयकांत दास, अनुसूचित जाति	पार्वती देवी, (पत्नी)	493, 18.04. 2026	ग्रा०-सौरिया छोटी, पो०-राढ़ी, थाना+प्रखण्ड-बोखड़ा, जिला-सीतामढ़ी 7485057251	4285753 8962	SBI, SBIN00 14301	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
05	स्व० रामलाल पासवान, 49, जगेश्वर पासवान, अनुसूचित जाति	शिवदुलारी देवी, (पत्नी)	569, 06.05. 2026	ग्रा०-सिंगियाही, पो०-हरदिया, थाना+प्रखण्ड-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी 9263177667	5688639 425	CBI, CBIN02 82487	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
06	स्व० गिरिजा देवी, 49, मखनू मुखिया, अनुसूचित जाति	मखनू मुखिया, (पति)	582, 07.05. 2026	ग्रा०+पो०-भंडारी, थाना+प्रखण्ड-बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी 8295311761	5740810 0013512	BOB, BARBO BELS:IN	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

07	स्व० मानकी देवी, 48, दिनेश पासवान, अनुसूचित जाति	दिनेश पासवान, (पति)	583, 07.05. 2026	ग्रा०+पो०-भण्डारी, थाना+प्रखण्ड-बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी 7491067223	3556312 6194	SBI, SBIN00 04654	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
08	स्व० जया देवी, 56, किशोर पासवान, अनुसूचित जाति	किशोर पासवान, (पति)	584, 07.05. 2026	ग्रा०-दमामी, पो०-परतापुर, थाना+प्रखण्ड-बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी 9060222315	5740810 0017337	BOB, BARBO BELSAN	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल :- रु० 3,60,000/-

(तीन लाख साठ हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

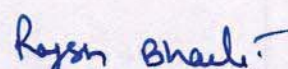
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-53/2026(अंश)-1157

पटना, दिनांक :- 24/08/2024

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभागको सूचनार्थ प्रेषित।


24/08/2024
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक